रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2015/चैत्र 30, 1937
No. 820] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2015/CHAITRA 30, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

का.आ.1054(अ).–केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

1.	प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	-	अध्यक्ष, पदेन
2.	प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	-	सदस्य, पदेन।
3.	प्रधान सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग-1 या सचिव, शहरी विभाग-1 द्वारा पदाभिहित/नामित अधिकारी, जो उप सचिव रैंक से कम का न हो, महाराष्ट्र सरकार।	-	सदस्य, पदेन।

4.	आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग का ज्येष्ठ और मुख्य वैज्ञानिक, महाराष्ट्र सरकार ।	-	सदस्य, पदेन ।
5.	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार ।	-	सदस्य, पदेन ।
6.	नगरपालिका आयुक्त, ग्रेटर मुंबई का नगर निगम, एमसीजेडएमए, और अधिकारी,जोएमसीजेडएमए द्वारा पदाभिहित/ नामनिर्दिष्ट उप सचिव रैंक से कम का न हो ।	-	सदस्य, पदेन ।
7.	डा. राकेश कुमार, मुख्य वैज्ञानिक, एनईईआरआई, मुंबई ।	-	सदस्य
8.	डा. बबन इंगोले, मुख्य वैज्ञानिक जी, राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा ।	-	सदस्य
9.	डा. एम.सी. देव, आचार्य, आईआईटी, बंबई	-	सदस्य
10.	निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई और केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई के ज्येष्ठ और मुख्य वैज्ञानिक ।	-	सदस्य
11.	डा. महेश शिन्दीकर, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग, इंजीनियरी कालेज, पुणे ।	-	सदस्य
12.	वह अधिकारी, जो उप सचिव रैंक से कम का न हो, पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार ।	-	सदस्य सचिव ।

II प्राधिकरण और उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित होगा ।

III प्राधिकरण की बैठक के लिए गणमूर्ति उसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ।

IV पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के मानदंडों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे ।

V प्राधिकरण, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित और उसमें सुधार करने, महाराष्ट्र राज्य के तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के उपशमन और नियंत्रण करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

(i) प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना के अनुमोदन के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है तो वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसार उसका परीक्षण करेगा और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के तटीय विनियमन जोन का अनुपालन करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकरण से ऐसे परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिशें करेगा ।

(ii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तटीय विनियमन क्षेत्रों के सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा।

(iii) प्राधिकरण उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन करने या मानीटर करने के लिए मुख्यतया उत्तरदायी होगा।

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों का वर्गीकरण और तटीय जोन प्रबंध योजना में परिवर्तनों या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और उसके पश्चात् उस पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण से विनिर्दिष्ट सिफारिशें करेगा।

(v) प्राधिकरण -

(क) उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अभिकथित उल्लंघन की दशा में जांच करेगा और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो ऐसे किसी विनिर्दिष्ट मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन ऐसे निदेश जारी करेगा जो कि न तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या न ही केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों से असंगत हों;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के उल्लंघनों में अंतर्ग्रस्त मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा पुनर्विलोकन करने के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसे मामलों को निर्दिष्ट करेगा :

परंतु प्राधिकरण उल्लंघनों के मामलों की ऐसी जांच या पुनर्विलोकन स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल कर सकेगा ;

(vii) प्राधिकरण, ऐसी कार्रवाई करेगा जो किसी मामले में उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित हो।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाधकों का निपटारा करेगा जिन्हें राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किया गया हो;

VII. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और वेबसाइट पर कार्यसूची, कार्यवृत्त किए गए विनिश्चय, अभ्यावेदन पत्र, उल्लंघन और ऐसे उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश भी हैं और राज्य सरकार के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना को डालेगा।

VIII. प्राधिकरण अपने क्रियाकलाप की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

IX. प्राधिकरण राज्य सरकार, वित्तपोषण अभिकरणों या परियोजना प्राधिकरणों आदि से प्राप्त निधियों/फीसों को निक्षेप करने के लिए राष्ट्रीय बैंक में अपना बैंक खाता रखेगा।

X. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस अधिसूचना और उक्त अधिनियम में उसे सौंपे गए कृत्यों के प्रभावी अनुपालन के लिए अधिकरण को पर्याप्त संसाधन, मानव शक्ति और निधि उपलब्ध कराएं।

XI. प्राधिकरण नियमित राज्य तटीय जोन मानीटरी समितियों के कृत्यों का नियमित पुनर्विलोकन करेगी।

XII. प्राधिकरण पर्यावरण विभाग के परामर्श से मुख्य किसी प्रदूषणकारी मुख्य संदाताओं के रूप में संवीक्षा फीस उद्गृहीत कर सकेगी ।

[फा.सं. 12-5/2005-आईए-III]

बिश्वनाथ सिन्हा संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2015

S.O. 1054(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O 383(E) dated the 6th March, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

1.	Principal Secretary/Secretary, Environment Department, Government of Maharashtra.	Chairperson, ex-officio
2.	Principal Secretary/Secretary, Revenue Department, Government of Maharashtra.	Member, ex-officio
3.	Principal Secretary/Secretary, Urban Development Department-I or Officer not below the rank of Deputy Secretary designated/nominated by the Secretary, Urban Development-I, Government of Maharashtra	Member, ex-officio
4.	Commissioner, Fisheries Department, or Senior or Principal Scientist of Fisheries Department, Government of Maharashtra	Member, ex-officio
5.	Principal Secretary/Secretary, Industries Department, Government of Maharashtra.	Member, ex-officio
6.	Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai, or Officer not below the rank of Deputy Secretary designated/ nominated by Maharashtra Coastal Zone management Authority, Mumbai.	Member, ex-officio
7.	Dr. Rakesh Kumar, Chief Scientist, National Environmental Engineering Research Institute, Mumbai	Member
8.	Dr. Baban Ingole, Chief Scientist G, National Institute of Oceanography, Goa	Member

9.	Dr. M.C. Deo, Professor, Indian Institute of Technology Bombay	Member
10.	Director, Central Institute of Fishery Education, Mumbai or Senior or principal scientist of Central Institute of fishery Education, Mumbai	Member
11.	Dr. Mahesh Shindikar, Applied Science Department, College of Engineering, Pune.	Member
12.	Officer not below the rank of Deputy Secretary, Environment Department, Government of Maharashtra.	Member Secretary

II. The Authority shall have its headquarters at Mumbai.

III. The quorum of the meeting of the authority shall be one-third of the total number of its members.

IV. A member, other than an ex-officio member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

V. The Authority, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Maharashtra, shall take the following measures, namely:-

(i) the Authority shall receive application for approval of project proposal and examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and complies with the requirement of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011(hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority as specified in the said notification, within a period of sixty days from date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall primarily be responsible for enforcing and monitoring the provisions of said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications, in the classification of Coastal Regulation Zone areas, and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority.

(v) the Authority shall-

(a) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, in any specific case, issue such direction under section 5 of the said Act as are not inconsistent with the directions issued in that specific case either by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made there under, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, refer such cases, along with its comments for review by the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that such inquiry or review of cases of violations may be taken up by the Authority suomoto, or on the basis of a complaint made by any individual or representative body or organization;

(vi) the Authority may file complaints, under section 19 of the said Act, against any person for non-compliance of directions issued by it;

(vii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act to verify the facts before it in any case.

VI. the Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

VII. the Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its working create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, recommendation letters, acts of violations and actions taken on such violations, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

VIII. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

IX. The Authority shall have its Bank Account in the National Bank to deposit the funds/ fees received from the State Government, funding agencies or project authorities etc.

X. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower and funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as envisaged in this notification and in the said Act.

XI. The Authority shall regularly review the functioning of the District Coastal Zone Monitoring Committees.

XII. The Authority may levy scrutiny fees as a polluter pays principle in consultation with the Environment Department.

[F. No.12-5/2005-IA-III]

BHISWANATH SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.